न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /08/2022

बच्चू पुत्र प्यारे जाति जाट निवासी ग्रांम फुलवारा तहसील व जिला भरतपुर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1—सूरजपाल पुत्र लल्लू । जाति जाट निवासी फुलवारा तहसील व जिला

2—वविता पुत्री लल्लू । भरतपुर राजस्थान

.....रेस्पो0

अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 1133 दिनांक 30.3.2022 बाके ग्रांम फुलवारा तहसील भरतपुर

उपस्थित :—

1—श्री महाराजसिह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,

निर्णय **दिनांक 21.06.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 1133 दिनांक 30.3.2022 बाके ग्रांम फुलवारा तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1133 दिनांक 30.3.2022 विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश नामान्तकरण से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलब की गई। रेस्पो की तलबी की गई। रेस्पो0 की ओर से एड0 राजेश पचौरी का वकालातनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल है। रेस्पो अभिभाषक बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की बहस एक तरफा में सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने गलत आदेश पारित किया है। मृतक बाछड़ का अपीलार्थी खास छोटा भाई है और मृतक का एक उत्तराधिकारी है। अपीलार्थी मृतक का द्वितीय श्रेणी की चौथी प्रविष्ठि का वारिस है जब कि उत्तरवादी मृतक के पूर्व मृतक भाई लल्लू के पुत्र पुत्री है जो मृतक के द्वितीय श्रेणी की पांचवी प्रविष्ठिा के उत्तराधिकारी है इसलिए मृतक भाई अपीलार्थी के जीवित रहते हुए उत्तराधिकारी को मृतक की आराजी जायदाद में कोई हक विरासत प्राप्त नहीं होते हैं, योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनस्थ

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय ने उत्तरवादीगण के हक में आधे हिस्से पर नामान्तकरण स्वीकार करने में भारी त्रुटि की है। मृतक के भाई के जीवित होते हुऐ उसके पूर्व मृतक भाई के लड़के लड़की यानी भतीजा को कोई अधिकार विरासत प्राप्त नहीं होते हैं। तहत न्यायालय ने मृतक के वारिसान की कोई जांच नहीं की है । नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। खसरा नम्बर 821 में अपीलार्थी की निजी धनराशि लगाकर धर्मशाला बनवायी है उस पर भी उत्तरवादी के नाम आधे हिस्से पर इन्द्राज खातेदारी स्वीकृत किये हैं जो महान गलती है। विवादित आराजी के कब्जा काश्त की कोई जांच नहीं की गई। अपीलार्थी अकेला बाछड द्वारा छोड़ी गयी समस्त आराजी पर काबिज है रेस्पो का विवादित आराजी पर किसी भाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। योग्य अभिभाषक ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1133 का अध्ययन किया गया। यह नामान्तकरण मृतक बाछड़ की विरासत को लेकर खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने मृतक बाछड की विरासत को लेकर सवाल उठाये हैं उनका कहना है कि वे मृतक बाछड के छोटे भाई हैं, मृतक के छोटे भाई होने के नाते मृतक की विरासत में प्रथम अधिकार उनका बनता है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये बिन्दू जांच का विषय है कि मृतक बाछड के नियमानुसार विरासत में कोन अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं कि वे मृतक बाछड के वारिसान की जांच कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का मौका देते हुये पुनः निर्णय पारित करें

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1133 दिनांक 30.3.2022 प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक बाछड के वारिसान की जांच करें, तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21–06–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर